

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III / 1244

दिनांक :- 13-12-17

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश / पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

| क्र.स.<br>(1) | लिंक नं.<br>(2) | नाम (सर्वश्री) / पदनाम<br>(3)        | वर्तमान विभाग<br>(4)                                                                                                | अतिरिक्त कार्य का विभाग<br>(5)                                | अतिरिक्त कार्य का पद<br>(6) |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 11273           | संदीप / कनिष्ठ लेखाकार               | चिकित्सा अधिकारी,<br>सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र, चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य विभाग,<br>राजगढ़, चूरू - 22783       | उप कोषाधिकारी, कोष एवं<br>लेखा विभाग, राजगढ़, चूरू -<br>20522 | कनिष्ठ लेखाकार              |
| 2             | 11367           | विश्व भारती छीपा /<br>कनिष्ठ लेखाकार | चिकित्सा अधिकारी,<br>सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र, चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य विभाग,<br>दूदवाखारा, चूरू -<br>22803 | कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा<br>विभाग, चूरू - 1102                | कनिष्ठ लेखाकार              |

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III /

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
  2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
  3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II) / अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)।
  4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
  5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित निजी पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)